समाचार वाणी

ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

विजय शाह पर FIR: कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंत्री

Publisher | Published on 15 May 2025

कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर फंसे विजय शाह, FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंत्री

तिथि : 15 मई 2025 | **स्थान :** नई दिल्ली / इंदौर

[illegible]

क्या है पूरा मामला ?

मध्य प्रदेश के मंत्री **विजय शाह** ने सेना की अधिकारी **कर्नल सोफिया कुरैशी** पर दिए गए विवादित बयान को लेकर खुद को मुश्किल में डाल लिया है। उनके बयान पर **मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ** ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनकी भाषा को "**गटर स्तर की**" बताया और **राज्य के DGP** को 4 घंटे के भीतर FIR दर्ज करने का आदेश दिया।

इस आदेश के बाद **14 मई 2025 की शाम** इंदौर के **महू तहसील के मानपुर थाने** में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।

विजय शाह ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट मे ?

FIR दर्ज होने के बाद विजय शाह अब **सुप्रीम कोर्ट** पहुंचे हैं। उन्होंने याचिका दायर कर कहा कि **इतनी कठोर कार्रवाई** की जरूरत नहीं थी। उनका कहना है कि **बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश** किया गया और उन्होंने **माफी भी मांग ली थी।** उनके वकील जल्द सुनवाई की मांग करने वाले हैं।

किन धाराओं मे दंर्ज हुई FIR?

मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की जगह अब लागू **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** की निम्नलिखित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है:

- **धारा 152:** देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना
- **धारा 196(1)(B):** विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना
- **धारा 197(1)(C):** धार्मिक, भाषाई या अन्य आधार पर किसी समुदाय के सदस्य के खिलाफ सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी करना

ऑपरेशन सिंदूर और कर्नल सोफिया कुरैशी

गौरतलब है कि **कर्नल सोफिया कुरैशी** हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में **सेना की प्रवक्ता** के रूप में सुर्खियों में आई थीं। विजय शाह ने सार्वजनिक कार्यक्रम में उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे सोशल मीडिया पर व्यापक विरोध देखने को मिला।

? संबंधित खबरे:

- राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल

Source: Samachar Wani News

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.